

न्यायालय सहायक कलक्टर(एस.डी.ओ.)सिणधरी

पीठासीन अधिकारी-श्री जगदीश सिंह आशिया, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :- 37/2023

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
1. चूनाराम पुत्र वागाराम 2. दलाराम पुत्र वागाराम 3. पूराराम पुत्र वागाराम 4. गुणेशाराम पुत्र वागाराम जातियान जाट निवासी टूकिया तहसील सिणधरी जिला बालोतरा		1. भोमाराम पुत्र वागाराम जाति जाट निवासी टूकिया तहसील सिणधरी जिला बालोतरा 2. शाखा प्रबन्धक राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक शाखा सडा जिला बालोतरा 3. तहसीलदार नोखड़ा 4. तहसीलदार सिणधरी

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति-

- श्री भंवरलाल सारण, अधिवक्ता वादीगण की ओर से उपस्थित।
- प्रतिवादी सं. 04 के पैरोकार उप। शेष एकतरफा।

निर्णय

दिनांक- 18.02.2025

संक्षिप्त में वादपत्र के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है,कि मौजा- तालवाणियों की ढाणी पटवार मण्डल गोलिया जीवराज के खसरा संख्या 122/3 रकबा 12.6366 हेक्टेयर व ग्राम टूकिया पटवार मण्डल गोलिया जीवराज के खसरा संख्या 77/3 रकबा 2.4108 हेक्टेयर तथा ग्राम भांमुओं की बेरी तहसील नोखड़ा के खसरा संख्या 519 रकबा 3.0257 हेक्टेयर भूमि के संबंध में प्रस्तुत वादपत्र दिनांक 26.06.2024 को प्राथमिक रूप से रवीकार कर तहसीलदार सिणधरी/नोखड़ा को मौके पर पक्षकारान का कब्जा काश्त अनुसार बाई मिटस एण्ड बाउण्ड विभाजन प्रस्ताव तैयार करने हेतु निजवाने हेतु अधिकृत किया गया था।

तहसीलदार सिणधरी/नोखड़ा द्वारा आदेश की पालना में न्यायालय द्वारा पारित माफिक प्राथमिक डिक्री अनुसार तहसील सिणधरी में अवस्थित भूमि के मौके का विभाजन प्रस्ताव तैयार कर उपलब्ध करवाया। जिसे वादीगण अधिवक्ता की ओर से विभाजन प्रस्ताव रवीकार भी किया गया।

लिहाजा वादीगण का वाद अंतिम रूप से रवीकार किया जाकर मौजा- तालवाणियों की ढाणी पटवार मण्डल गोलिया जीवराज के खसरा संख्या 122/3 रकबा 12.6366 हेक्टेयर व ग्राम टूकिया पटवार मण्डल गोलिया जीवराज के खसरा संख्या 77/3 रकबा 2.4108

हैक्टयर तथा ग्राम भांभुओं की बेरी तहसील नोखड़ा के खसरा संख्या 519 रकबा 3.0257 हैक्टयर के संबंध में विभाजन पक्षकारान के मध्य निम्न प्रकार किया जाता है।

क. सं.	नाम खातेदार	ग्राम	खसरा नं.	रकबा हैक्टयर	किस्म	लगान	बरंग
1	गुणेशाराम पुत्र वागाराम जाति जाट सा. देह खातेदार	टूंकिया	77/3	2.4108	बा.दो.	2.24	बैंगनी
		तालबाणियों की ढाणी	122/3	1.1504	बा.दो.	1.07	
		कुल		3.5612		3.31	
2	भोमाराम पुत्र वागाराम जाति जाट सा. देह खातेदार	तालबाणियों की ढाणी	122/3	0.5112	बा.दो.	0.47	पहाड़ी
3.	पूराराम पुत्र वागाराम जाति जाट सा. देह खातेदार रहन आरएमजीबी सड़ा	तालबाणियों की ढाणी	122/3	2.7039	बा.दो.	2.50	हरा
		कुल	122/3	0.8330	बा.दो.	0.77	
4	दलाराम पुत्र वागाराम जाति जाट सा. देह खातेदार	तालबाणियों की ढाणी	122/3	0.7229	बा.दो.	2.50	पीला
		कुल	122/3	2.8383	बा.दो.	0.77	
		कुल		3.5612		3.30	
5	चूनाराम पुत्र वागाराम जाति जाट सा. देह खातेदार	तालबाणियों की ढाणी	122/3	3.5369	बा.दो.	3.28	लल
6	गुणेशाराम पुत्र वागाराम 1/4 चूनाराम पुत्र वागाराम 1/4 दलाराम पुत्र वागाराम 1/4 पूराराम पुत्र वागाराम 1/4 जाति जाट सा.देह खातकदार रहन पूराराम का हि. आरएमजीबी सड़ा	तालबाणियों की ढाणी	122/3	0.3400	बा.दो.	0.33	काला
7	भोमाराम पुत्र वागाराम जाति जाट सा. देह खातेदार	भांभुओं की बेरी	519	3.0257	बा.सो.	0.94	हरा

तहसीलदार सिणधरी/ नोखड़ा को आदेशित किया जाता है, कि वह उपरोक्तानुसार नामांतरकरण भरकर बाद जांच तस्दीक करें, संलग्न नामांतरकरण की पुस्त पर तरमीम अंकित करे, राजस्व रिकॉर्ड में विधिवत रूप से अमल दरामद की कार्यवाही करें। विभाजन नक्शा इस निर्णय का अभिन्न अंग होगा। डिग्री पर्चा मुर्तिब जारी हो। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करें।

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.)सिणधरी

निर्णय आज दिनांक 18.02.2025 को लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.)सिणधरी

मूल वाद मे डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, सिणधरी

पीठासीन अधिकारी:- श्री जगदीशसिंह आशिया, आर.ए.एस.

उनवान

वादीगण

बनाम

प्रतिवादीगण

1. चूनाराम पुत्र वागाराम
2. दलाराम पुत्र वागाराम
3. पूराराम पुत्र वागाराम
4. गुणेशाराम पुत्र वागाराम जातियान जाट निवासी टूंकिया तहसील सिणधरी जिला बालोतरा

1. भोमाराम पुत्र वागाराम जाति जाट निवासी टूंकिया तहसील सिणधरी जिला बालोतरा
2. शाखा प्रबन्धक राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक शाखा सड़ा जिला बालोतरा
3. तहसीलदार नौखड़ा
4. तहसीलदार सिणधरी

दावा बाबत:- 53,188 आर.टी.एक्ट

मुकदमा नम्बर :- 37/2023

निर्णय दिनांक :- 18.02.2025

वादी की ओर से श्री भंवरलाल सारण अधिवक्ता, तथा राज. पैरोकर की उपस्थिति एवं शेष की अनुपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 18.02.2025 को श्री जगदीशसिंह आशिया (नाम पीठासीन अधिकारी) उपखण्ड अधिकारी सिणधरी के समक्ष निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि:- वादीगण का वाद अंतिम रूप से स्वीकार किया जाकर निर्णय दिनांक 18.02.2025 में अंकित अनुसार भूमि उनकी खातेदारी में पृथक से घोषित की जाती है। तहसीलदार सिणधरी को आदेश दिये जाते हैं, कि वह मुताबिक निर्णय अनुसार नियमानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जाना सुनिश्चित करावें। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

यह डिक्री आज तारीख 18.02.2025 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर, सिणधरी

वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादी	
	रुपया		रुपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प		1. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	
2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		2. अर्जी के लिए स्टाम्प	
3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प		3. फ्लीडर की फीस	
4.रुपये पर प्लीडर की फीस		4. साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	
5. साक्षियों के लिए निर्वाह-व्यय		5. आदेशिका की तामील	
6. कमिश्नर की फीस		6. कमिश्नर की फीस	
7. आदेशिका की तामिल			
जोड़		जोड़	